अतिआवश्यक/तत्काल निर्गत

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्याः 46 दिनांकः अगस्त 24/08/ 2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषयः न्यायालयों में जघन्य अपराधों से संबंधित प्रचलित अभियोगों की प्रभावी पैरवी हेतु मानीटरिंग सेल गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जघन्य एवं महत्वपूर्ण अपराधों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की पैरवी का सम्यक पर्यवेक्षण नहीं हो रहा है जिसके कारण उक्त मुकदमों की पैरवी में शिथिलता परिलक्षित हो रही है एवं इनका शीघ्र अभियोजन संभव नहीं हो पाता है।

2. इस परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि जघन्य एवं महत्वपूर्ण मुकदमों में पैरवी की मानीटरिंग हेतु प्रत्येक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक मानीटरिंग सेल गठित किया जाये जिसका प्रभारी निरीक्षक रैंक का एक अधिकारी होगा तथा उसके सहयोगार्थ 01 उपनिरीक्षक, 02 अथवा 03 आरक्षी अथवा मुख्य आरक्षी नियुक्त रहेंगे। इसका पर्यवेक्षण जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्वयं करेंगे। इस सेल को आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि सहवर्ती उपकरण उपलब्ध करा दिया जाये तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक कक्ष आवंटित कर दिया जाये।

3. इस मानीटरिंग सेल के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे :-

1. जघन्य अपराध से सम्बन्धित ऐसे समस्त अभियोगों को सूचीबद्ध करना, जिनमें गुणात्मक विवेचना हुई हो एवं विवेचनापरांत प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है।
2. ऐसे अपराधी जिनकी आम ख्याति जनता में भी कुख्यात अपराधी के रूप में बनी हुयी है, के विरूद्ध 25/27 आर्म्स एक्ट, धारा 307 भादवि के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग या अन्य ऐसे वाद, जिसमें पुलिस मुख्य रूप से गवाह हो, की सूची तैयार करना।
3. गिरोहबंद अधिनियम के विचाराधीन मुकदमों में गैंगचार्ट में प्रदर्शित मुकदमों का पृथक विवरण न्यायालय केनाम एवं तिथि सहित तैयार की जाये तथा गिरोहबंद अधिनियम की धारा 12 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विशेष न्यायालय गिरोहबंद में गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन मुकदमें के विचारण को प्राथमिकता दी जाये तथा उसका विचारण पूर्ण होने तक गैंग चार्ट में अंकित अन्य न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की कार्यवाहियां स्थगित कराये जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 20/2017 दिनांक 31.7.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

Scanned by CamScanner

4. उपरोक्त सूची नामवार व सर्किलवार तैयार की जाये। इसका रखरखाव काजलिस्टवार एवं पैरवी रजिस्टरवार किया जायेगा।
5. सभी सम्बन्धित पैरोकार ऐसे सूचीबद्ध अभियोगों की सूची इस सेल से प्राप्त कर अपने रजिस्टर में सुस्पष्ट रूप से अभिलिखित करेंगे कि कुल गवाहों में से कितने गवाहों की गवाही हो गई है, कौन-कौन से गवाहों की गवाही अभी होना शेष है तथा उनकी गवाही कब नियत है, कितने गवाह अभियोजन के कथानक के समर्थन में हैं अथवा कितने गवाह पक्षद्रोही की स्थिति में है, इत्यादि।
6. प्रत्येक दिवस सम्बन्धित पैरोकार न्यायालय से लौटने के उपरान्त इस मानीटरिंग सेल को उक्त मुकदमों से सम्बन्धित कारगुजारी से अवगत करायेंगे तथा साक्षी के नाम सहित साक्ष्य हेतु अग्रिम तिथि के बारें में भी अवगत करायेंगे, जिसका अंकन सम्बन्धित रजिस्टर में तत्काल मानीटरिंग सेल प्रभारी द्वारा कराया जायेगा जिससे कि समुचित पैरवी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सुनिश्चित की जा सके।
7. इस सम्बन्ध में यह सेल सम्बन्धित न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर से भी आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त कर सकता है।
8. ऐसे समस्त वादों के विषय में पुलिस अधीक्षक जिला मानीटरिंग सेल की मासिक बैठक में जिला जज से विचार-विमर्श करेंगे ताकि इनकी शीघ्रताशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित हो सके और नियत तिथि पर सम्बन्धित गवाह के न आने की दशा में सम्मन/वारंट ससमय निर्गत हो सके और उसका अनुपालन स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा सके।
9. विभिन्न न्यायालयों से निर्गत होने वाले समस्त सम्मन/वारण्ट संबंधित थाने की रोजनामचा आम में उसी दिवस दाखिल किये जायेंगे। वाह्य जनपद से संबंधित गवाहों के साथ-साथ जनपद के अन्दर के थानों से संबंधित सम्मन/वारण्ट को भी थाने के रोजनामचा आम में दाखिल किया जाये।
10. यह सूची स्टेटिक (Static) न होकर डायनमिक (Dynamic) होगी अर्थात् किसी जघन्य अपराध में विवेचनापरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया हो और पुलिस अधीक्षक स्तर पर वरीयतानुसार अभियोजन शीघ्र वांछित हो तो उसे भी इस सूची में क्रमवार सम्मिलित किये जाने पर विचार कर लिया जाये।
11. पुलिस अधीक्षक इन वादों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) से नियमित विचार-विमर्श करेंगे। वे इन अभियोगों के अभियोजन के सम्बन्ध में समय-समय पर पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रगति से अवगत कराते रहेंगे। यदि कोई तकनीकी कमी हो तो 173(8) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत उनकी पूर्ति करा ली जाये ताकि इन मुकदमों पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ सके।

Scanned by CamScanner

12. पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं प्रत्येक सप्ताह इस सेल की समीक्षा की जाती रहेगी।

13. इस व्यवस्था का उद्देश्य जघन्य अपराधों से संबंधित प्रचलित महत्वपूर्ण अभियोगों की पैरवी को प्रभावी एवं सुव्यवस्थित (streamline) किया जाना है ताकि ऐसे अपराधों में अपराधियों को प्रभावी सजा दिलायी जा सके, किन्तु यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह एक अतिरिक्त व्यवस्था है तथा क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष न्यायालय में पैरवी से संबंधित कार्य को पूर्ववत् करते रहेगें।

4. जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

24.8.18

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, अभियोजन उ0प्र0 को कृपया इस अनुरोध के साथ कि वें जनपदों में कार्यरत् जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को तदनुरूप निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner